हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1126 /अका./वार्षिक संबंद्धता/077/2019 दुर्ग, दिनांक : 04/05/2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.04.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2018-19 के लिए प्रदान की जाती है:-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई नगर, जिला – दुर्ग (छ.ग.)	**Permanent Affiliation**	
		B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science	450
		B.H.Sc.	30
		Non Permanent Affiliation	
		B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30)	-
		B.Com. Including Computer Application	200
		B.Ed.	100
		BCA	30
		M.Sc.- Chemistry	20
		M.Sc.- Zoology	20
		M.Sc.- Botany	20
		M.Sc.- Mathematics	20
		M.Sc.- Microbiology	20
		M.Sc.- Bioscience	12
		M.Sc.- Physics	10
		M.Sc.- Computer Science	15
		M.Sc.- Biotechnology	12
		M.H.Sc.- Child Dev.Text & Cloting	20
		M.Com	40
		PGDCA	30

Bhilai Mahila Mahavidyalaya Bhilai Nagar (C.G.) R. N. 106 Dt. 27/05/19

निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
3. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
5. समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिर्वतन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृदढ़ करेंगे।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
9. उपरोक्त संबंद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतगर्त अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) – 491001

Email: academic@durguniversity.ac.in Website: www.durguniversity.ac.in Phone-0788-2359400

क्र. 1008 /अका./वार्षिक संबद्धता/002/2017 दुर्ग, दिनांक 10/08/17

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15(a)(i) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 10/08/2017 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर 9, भिलाईनगर, जिला--दुर्ग (छ.ग.) Email Id - bmahila@rediffmail.com Ph. No.- 0788-2242699	2017-18	**Permanent Affiliation** **B.Sc.**- Hindi, English, Physics, Chemistry, Maths **Including additional subj. with non perma. affili.** Computer Science and Electronics (30)	190
			B.Sc.- Hindi, English, Chemistry, Zoology, Botany **Including additional subj. with non perma. affili.** Indusrtrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30)	260
			B.H.Sc.	30
			Non Permanent Affiliation **B.Com.**- Including Computer Application	200
			B.Ed.	100
			BCA	30
			M.Sc.- Chemistry	20
			M.Sc.- Zoology	20
			M.Sc.- Botany	20
			M.Sc.- Mathmatics	20
			M.Sc.- Microbiology	20
			M.Sc.- Bioscience	12
			M.Sc.- Physics	10
			M.Sc.- Computer Science	15
			M.Sc.- Biotechnology	12
			M.H.Sc.- Child Dev.Text& Cloting	20
			M.Com	40
			PGDCA	30

निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
3. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

क्रमशः............

Scanned by TapScanner

4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
5. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिर्वतन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदढ़ करें।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करें।

उक्त शर्तो की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

11/08/17

आदेशानुसार

उप कुलसचिव (अका.)

क्र. 1009 /अका./वार्षिक संबंद्धता/002/2017 दुर्ग, दिनांक : 10/08/17

प्रतिलिपी:

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)
2. माननीय कुलपति महोदय के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा नियंत्रक, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

उप कुलसचिव (अका.)

Scanned by TapScanner

दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ शासन के अधिनियम क्र. 16/2015 द्वारा स्थापित)

शासकीय वा.वा. पाटणकर, कन्या महाविद्यालय परिसर, रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.) - 491001

Email: durguniversity@gmail.com Website: www.durguniversity.ac.in Phone & Fax 0788-2213300

13/10/16

Mr. Gaikwad

To discuss.

क्र. 123/अका./संबंद्धता वृद्धि–013/2016

दुर्ग, दिनांक : 6/10/16

|| आदेश ||

विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा (52) में उल्लेखित विशेषाधिकारों के तहत माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में प्राधिकार समिति की बैठक दिनांक 01/10/2016 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नांकित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषय के लिए संबंद्धता प्रदान की जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	सत्र	कक्षा/विषय	सीट संख्या
1	भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर 9, भिलाईनगर, जिला–दुर्ग (छ.ग.) Email Id – bmahila@rediffmail.com Ph. No.- 0788-2242699 705 13/10/16	2016-17	**Permanent Affiliation**	
			B.Sc.- Hindi, English, Physics, Chemistry, Maths	160
			Including additional subj. with non perma. affili. Computer Science and Electronics	
			B.Sc.- Hindi, English, Chemistry, Zoology, Botany	160
			Including additional subj. with non perma. affili. Indusrtrial Microbiology, Biotechnology, Microbiology	
			B.H.Sc.	30
			Non Permanent Affiliation	
			B.Com.- Including Computer Application	160
			B.Ed.	100
			BCA	30
			M.Sc.- Chemistry	20
			M.Sc.- Zoology	20
			M.Sc.- Botany	20
			M.Sc.- Mathmatics	20
			M.Sc.- Microbiology	20
			M.Sc.- Bioscience	12
			M.Sc.- Physics	10
			M.Sc.- Computer Science	15
			M.Sc.- Biotechnology	12
			M.H.Sc.- Child Dev.Text& Cloting	20
			M.Com	30
			PGDCA	30

उपकुलसचिव

दुर्ग विश्व विद्यालय, दुर्ग

PTO

Scanned by TapScanner

Date – 20.10.2021

HEMCHAND YADAV VISHWAVIDYALAYA, DURG (CG)

Office to diary pl
8/10/21

(A State Government University established under Chhattisgarh Act No. 16 of 2015)
Raipur Naka, Durg (C.G.) – 491001
Email: academic@durguniversity.ac.inWebsite: www.durguniversity.ac.in Phone 0788-2359400

4101/Academic/Annual Affiliation/49/2021

Durg, Dated - 06/10/2021

ORDER

As per the previous recommendation of the University Standing Committee and approval by the Executive Council, following college is granted annual affiliation for the year **2021-22** as shown in the class/subject after deposit of prescribed fee under the term and condition laid down in university statue 27 & 28.

College Name	Class/ Subject	Number of Seats	Affiliation (Permanent/Non-Permanent)
Bhilai Mahila Mahavidyalaya, Hospital Sector, Bhilai, Dist.- Durg (C.G.)	**B.Sc.-** Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science	450	Permanent Affiliation
	B.Sc.- Biotechnology (30), Microbiology (30)		Permanent Affiliation
	B.H.Sc.	30	Permanent Affiliation
	B.Com.	168	Permanent Affiliation
	B.Com.- Including Computer Application	60	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Chemistry	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Zoology	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Botany	20	Permanent Affiliation
	M.Sc. –Mathematics	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Microbiology	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Physics	20	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Computer Science	10	Permanent Affiliation
	M.Sc.- Biotechnology	15	Permanent Affiliation
	M.H.Sc.- Human Development	12	Permanent Affiliation
	M.H.Sc.- Textile & Clothing	20	Permanent Affiliation
	M.Com.	12	Permanent Affiliation
	PGDCA	40	Permanent Affiliation
		30	Permanent Affiliation
	B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40)		Non-Permanent Affiliation
	B.Ed.	100	Non-Permanent Affiliation
	BCA	30	Non-Permanent Affiliation
	M.Sc.- Bioscience	12	Non-Permanent Affiliation
	B.A-I Home Science, Hindi Literature, Economics, Psychology, English Literature	60	Non-Permanent Affiliation

Instructions -

1. College will follow recent admission guidelines issued by Department of Higher Education, Govt. of Chhattisgarh and will also give priority to students of Chhattisgarh State.
2. All teaching and non-teaching staff of the college will be given pay scale (Including all allowances) as recommended by UGC/CG Govt.
3. If the college doesn't follow the terms & conditions mentioned in the order of Govt. and any objection is laid at any point then action may be taken as per rules.
4. No donation should be collected from the students as per provision of the govt. rules.
5. College must have to follow the directions issued by affiliating university from time to time.
6. From the inception of any course, recruitment of minimum teaching staff is compulsory.
7. Books of the concerned subjects should be purchased instantly.
8. College should make all necessary arrangements to fulfill the condition mandatory for the affiliation from NCTE and give prior information to University also. Failing which the university will send their names to NCTE for cancellation of affiliation.
9. This affiliation letter will be based on the latest affiliation letter approved by NCTE and if any matter of the college is lying with court then the decision of Honorable High Court will be applicable.
10. If there is any modification regarding subjects/classes/seat no. in this affiliation letter, then colleges should compulsorily contact University within 10 days from the date of release of letter along with documentary proof.

Failing to fulfill the conditions as mentioned above, the affiliation in subjects/classes provided to college can be reverted from the upcoming session.

Bhilai Mahila Mahavidyalaya
R. N 229
Dt. 08/10/2021
Nagar (C.G.)

Registrar
Hemchand Yadav Vishwavidyalaya, Durg
क्रमशः 02

P.T.O.

Scanned by TapScanner

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्वनाम-दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ईमेल: academic@durguniversity.ac.in वेब साइट: www.durguniversity.ac.in दूरभाष: 0788-2359400

Return. 06/01/2021 copy to ① Shri Vikas ② office ③ Shri Gaikwar

क्र. 3270/अका./वार्षिक संबंद्धता/19/2021 दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 28.12.2020 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक संबंद्धता सत्र 2020–21 के लिए प्रदान की जाती है:–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	सीट संख्या
01.	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पीटल सेक्टर, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	**Permanent Affiliation**	
		B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematis, Zoology, Botany,Computer Science	450
		B.H.Sc.	30
		Non Permanent Affiliation	
		B.Sc.- Electronics (30), Indusrtrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30)	
		B.Com.- Including Computer Application	200
		B.Ed.	100
		BCA	30
		M.Sc.- Chemistry	20
		M.Sc.- Zoology	20
		M.Sc.- Botany	20
		M.Sc.- Mathematics	20
		M.Sc.- Microbiology	20
		M.Sc.- Bioscience	12
		M.Sc.- Physics	10
		M.Sc.- Computer Science	15
		M.Sc.- Biotechnology	12
		M.H.Sc.- Child Dev.Text & Cloting	20
		M.Com	40
		PGDCA	30
		B. A.- I HomeScience, Hindi Literature, Economics, Psychology, English literature	60

Bhilai Mahila Mahavidyalaya R. N 214 Dt. 6.1.2021 Bhilai Nagar (C.G.)

निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्ग दर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत वेतनमान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
3. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
5. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिर्वतन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सृदढ़ करेंगे।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।

क्रमशः.................

Scanned by TapScanner

9. NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।
10. महाविद्यालय को दी गई उक्त संबद्धता NCTE से प्राप्त नवीन मान्यता एवं यदि न्यायालीन प्रकरण के अंतर्गत शामिल किए गए हैं तो माननीय उच्च न्यायालय से निर्णय के अधीन होगा।
11. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि होने पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतगर्त अनिवार्यतः अवगत करायें।

उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 3271/अका./वार्षिक संबंद्धता/19/2021 दुर्ग, दिनांक : 05/01/2021

प्रतिलिपिः
1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सह.कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

Scanned by TapScanner

Downloaded on 10.06.16 OLC (1

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, (छ. ग.)

दूरभाष 0771–2262802 (अकादमिक) 0771–2262540 फैक्स–0771–2262818, 2262607

क्रमांक 223 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2016 रायपुर, दिनांक 05 / 01 / 2016

Return. 10/06/16

।। आदेश ।।

विश्वविद्यालय विद्या परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 11.12.2015 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 15.12.2015 में अनुमोदन प्रदान किया गया है, तद्नुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन सम्बद्धता सत्र 2015–16 के लिए बढ़ाई जाती है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय
1	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पीटल सेक्टर–9, भिलाई, जिला– दुर्ग (छ.ग.) bmahila@rediffmail.com, hasan.zehra@rediffmail.com. Phone No.- 0788-2242699, Mobile No.- ~~98271-15066~~ 8085747933	**Permanent Affiliation** B.Sc. - Hindi, English, Physics, Chemistry, Math's, Botany, Zoology, Computer Sc.. B.H.Sc. **Non-Permanent Affiliation** B.Com. B.A. I - Hindi Litt., English Litt., Home Sc., Math's, Psychology, Economics. B.Com. - Computer Appl. (Addl. Subject.) B.Sc. - Indu Micro Bio., Biotechnology (30seat), Microbiology (30seat) B.Sc.I-Electronics (30) B.Ed.-(100seat) B.C.A. I - (30seat) M.Sc. - Chemistry, Zoology, Botany, Math's, Micro Biology(20), Bioscience (12), Physics (10), Com.Sc (15) M.H.Sc. - Child-Dev., Text & Clothing. M.Com. - Dipl. in Computer Sc. PGDCA M.Sc. -Biotech. (12)

Bhilai Mahila Mahavidyalaya R.No. 174 Dt. 10/06/2016 Bhilainagar-C.G.

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 224 / अका. / सम्ब.वृद्धि / 2016 रायपुर, दिनांक 05 / 01 / 2016

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लाक–सी, 30, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. सहायक कुलसचिव (परीक्षा)/ उप कुलसचिव गोपनीय, नामांकन विभाग,
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (अका.)

प्राचार्य
भिलाई महिला महाविद्यालय
हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई नगर (छ.ग.)

D:\Paleshwari\Yearly Affiliation 2015-16 order Page

Scanned by TapScanner

(2)

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं से संबंधित शाखा
हिन्दी भवन श्यामला हिल्स, भोपाल.

प्रमाण-पत्र

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधान 26 (1) के अंतर्गत
प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई।
द्वारा पत्र क्रमांक 601, 603, 604 दिनांक 4.6.99 द्वारा इस विभाग को वि.वि. अधिनियम 1973 की धारा 26 (1) (5) के अंतर्गत महाविद्यालय में सत्र 2000-2001 से नया अशासकीय महाविद्यालय में निम्नलिखित अतिरिक्त विषयों की कक्षाएँ प्रारंभ किये जाने के लिए आवेदन पत्र प्रेषित किया है.

विषय 1. बी.ए. प्रथम- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गृहविज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सत्र 2000-2001

2. एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध- गणित, वनस्पति शास्त्र,

BA
MSc Maths Bot

उक्त आवेदन पत्र निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन दिनांक 3.4.2000 पर विचार करने के उपरांत यह विभाग संतुष्ट है कि वि.वि. की विद्वत परिषद के प्रावधान 26 (1) (5) वि.वि. अधिनियम 1973 के अंतर्गत पृथक कार्य परिषद के वि.वि. अधिनियम के प्रावधान 24 (12) के अंतर्गत एक वर्ष के लिए अस्थाई अनुमति दी जाये कि वह संस्था के आवेदन पर विचार करें.

अत: यह विभाग यह प्रमाण पत्र प्राचार्य/अध्यक्ष, शासी निकाय भिलाई एजुकेशन ट्रस्ट, भिलाई. समिति को प्रदान करता है. जिससे कि वह वि.वि. अधिनियम की धारा 26 (1) (5) के प्रावधानों के अनुसार इस प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन करें आवश्यक शर्ते निम्नानुसार हैं.

1. सत्र 2000-2001 प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व शैक्षणिक स्टॉफ की पूरी व्यवस्था हो.
2. प्रयोगशाला की संपूर्ण सुविधाएं प्रवेश प्रारंभ करने के पूर्व की जाये जिससे सत्र आरंभ होने पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हों.

(1) 3. संस्था वित्तीय संसाधनों की जानकारी इस कार्यालय को 1 माह में उपलब्ध करायें तथा इससे आवश्यक प्रमाणित दस्तावेज इस कार्यालय को उपलब्ध करायें तीन वर्षों के अनुमानित बजट प्रस्ताव की जानकारी दें.

(2) संस्था निम्न शर्तों की पूर्ति करें ।

(1) बी.ए. भाग-प्रथम हेतु सहायक-प्राध्यापकों की नियुक्ति की जावें । राशि रुपये 20,000/- (बीस हजार) की पुस्तकें क्रय करें ।

(2) एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध- गणित, विषय हेतु स.प्रा. की नियुक्ति तत्काल करें ।

(3) एम.एस.सी. पूर्वार्द्ध- वनस्पति शास्त्र हेतु दो अतिरिक्त स.प्रा. की नियुक्ति उपकरण पुस्तकों के अतिरिक्त लगभग 10,000/- रुपये के उपकरण तथा 15,000/- रुपये की पुस्तकें क्रय करें ।

निरंतर--2

Scanned by TapScanner

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (म०प्र०)

क्रमांक 926/अका/सम्ब0/2001, // आदेश // रायपुर, दि0 31 जुलाई, 2001

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 20 जुलाई, 2001 में लिए गए निर्णयानुसार, निम्नलिखित महाविद्यालय को उसके सम्मुख दर्शित पाठ्यक्रमों में सत्र 2001-2002 के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या
भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई	1/ एम0एस0सी0अंतिम - रसायन शास्त्र	
	2/ बी0कॉम0-भाग-एक कम्प्यूटर एप्लीकेशन अतिरिक्त विषय	

अन्य शर्तें- 1/

2/

3/

4/

आदेशानुसार,

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक 927/अका/सम्ब0/200 रायपुर, दि0 31 जुलाई 2001

प्रतिलिपि-

1/ सचिव, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, डी0के0एस0भवन, रायपुर,

2/ आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन एवं अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, छात्रावास क्र0-4, शासकीय विज्ञान महा0परिसर, रायपुर,

3/ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को,

4/ संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, पं0रवि0शु0वि0वि0, रायपुर,

5/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक पं0रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर,

6/ उप कुलसचिव- गोपनीय विभाग/सहायक कुलसचिव-परीक्षा/नामांकन/वित्तअधिकारी, पं0रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

7/ विभागाध्यक्ष-कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला, पं0रवि0शु0वि0वि0, रायपुर,

8/ संचालक, शारीरिक शिक्षा, पं0रवि0शु0वि0वि0, रायपुर,

9/ संबंधित लिपिक, अकादमिक विभाग को, कृपया आगामी कार्यपरिषद की बैठक में सूचना प्रदान करने हेतु,

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

for sake of information to M.R. Chairman.

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262112 (अकादमिक विभाग), 0771-2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक : 4786/अका./सम्बद्धता/2006 रायपुर, दिनांक : 13/04/2006

॥ आदेश ॥

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 25.03.2006 में लिए गए निर्णयानुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके सम्मुख दर्शित सत्र एवं कक्षा/विषयों के लिए सशर्त अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
1.	भिलाई महिला महाविद्यालय हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)	1. बी.एस-सी. भाग-एक बायोटेक्नालाजी	30	2005-2006
		2. एम.एस-सी. अंतिम (भौतिकी)	10	
		3. एम.एस-सी. अंतिम (माइक्रोबायलाजी)	20	

शर्तें :-

1. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के प्रावधानांतर्गत उपरोक्त विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पदों को नियमानुसार विज्ञापित कर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया 3 माह के भीतर पूर्ण की जावे ।
2. महाविद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक/गैरशैक्षणिक कर्मचारियों को विश्वविद्यालय नियमानुसार वेतन का भुगतान बैंक के माध्यम से करें ।
3. महाविद्यालय के प्रयोगशाला हेतु उपरोक्त पाठ्यक्रम से सम्बन्धित रू. 10.00 लाख (रू. 2 लाख के बायोटेक्नालाजी, रू. 5.00 लाख के भौतिकी एवं रू. 3.00 लाख की माइक्रोबायलाजी हेतु) की प्रायोगिक उपकरण एवं ग्रंथालय हेतु रू. 2.00 लाख की पुस्तकें क्रय की जावे ।
4. उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 1 से 3 में वर्णित शर्तों की पूर्ति महाविद्यालय द्वारा 3 माह के भीतर किया जावे तथा शर्तों की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा महाविद्यालय में संचालित कक्षा/विषयों की आगामी सत्र हेतु सम्बद्धता वृद्धि नहीं की जावेगी ।
5. बी.एस-सी. भाग-दो (बायोटेक्नालाजी) की सम्बद्धता हेतु प्रकिया एक माह के भीतर पूर्ण कर विश्वविद्यालय से अनिवार्य रूप से सम्बद्धता प्राप्त करें ।

आदेशानुसार,

उपकुलसचिव (अका.)

पृ. क्रमांक 4787/अका./सम्बद्धता/2006 रायपुर, दिनांक : 13/04/2006

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, शास. विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर।
2. सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को ।
3. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. संचालक, शारीरिक शिक्षा/ विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला
5. उप कुलसचिव-गोपनीय/परीक्षा/परीक्षा सेमेस्टर/नामांकन/वित्ताधिकारी,
6. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

7. श्री सुरेन्द्र यादव, कार्य सहायक (अका.), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सम्बद्धता पंजी में उपरोक्तानुसार दर्ज करने हेतु ।

उपकुलसचिव (अका.)

RAVI05/AUSAR-sambadhdhta-adesh/169

Scanned by TapScanner

Recd. on 27 July 2006 at Pt. R. S. S. U. Raipur

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771–2262112 (अकादमिक विभाग), 0771–2262540 (कुलसचिव कार्यालय)

क्रमांक 8620 /अका./सम्ब./2006

Copy to
(1) Office – Necessary file
(2) Mrs. Mene – For admission of students.

रायपुर, दिनांक 26/07/2006

For favour of information to
(1) M.R.
(2) Chairman

प्रति,

प्राचार्य
भिलाई महिला महाविद्यालय
भिलाई (छ.ग.)

विषय : सत्र 2006–07 में कक्षा में छात्रों के प्रवेश की अनुमति ।

R. No. 743
D. 28/7/06

महोदय,

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की दिनांक 25.07.2006 को सम्पन्न बैठक के निर्णयानुसार कार्यपरिषद के द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नानुसार कक्षा/विषयों में निर्धारित तिथि तक प्रवेश की सशर्त अनुमति दी जाती है :–

क्रमांक	कक्षा/विषय	छात्रसंख्या	सत्र
1.	बी.एस–सी. भाग–एक माइक्रोबायलाजी अति.विषय	30	2006–07

शर्ते :–

V. Imp. → 1. महाविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति वि.वि. परिनियम 28 के तहत की जावे।

निर्णयानुसार सूचित करना है कि महाविद्यालय 3 माह के भीतर उपरोक्त शर्त की पूर्ति अनिवार्य रूप से करके सूचित करें, ताकि पुनर्निरीक्षण पश्चात सम्बद्धता संबंधी आगामी कार्यवाही की जा सके ।

भवदीय,

(विक्टर एक्का)
उपकुलसचिव (अका.)

पृ.क्रमांक 8621 /अका./सम्ब./2006

रायपुर, दिनांक 26/07/2006

प्रतिलिपि :–

1. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।
2. उपकुलसचिव (परीक्षा), पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर ।

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उपकुलसचिव (अका.)

RAVI06/B.AUSAR

Scanned by TapScanner

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

अधिसूचना

क्रमांक/628/अका./सम्ब./99 रायपुर, दि. 16 अगस्त 99

कुलपतिजी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 15 (4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत भिलाई महिला महा० भिलाईनगर जिला-दुर्ग (म०प्र०) की निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं अपेक्षित शर्तों की पूर्ति की प्रत्याशा में एम.एस.सी. पूर्व प्राणीशास्त्र एवं रसायन शास्त्र कक्षा/विषय को सत्र 1999-2000 से प्रारम्भ करने की अनुमति एवं दिनांक 30-06-2000 तक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

कुलपतिजी के आदेशानुसार

[signature]

कुलसचिव

पृ.क्र./628/अका./सम्ब./99 रायपुर, दिनांक 16 अगस्त 99.

प्रतिलिपि-

1/ प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाईनगर जिला-दुर्ग

2/ आयुक्त उच्च शिक्षा म०प्र० शासन (अशासकीय : शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा) हिन्दी भवन श्यामला हिल्स भोपाल.

3/ अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, रायपुर/बस्तर संभाग शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर रायपुर

4/ उपकुल सचिव- गोपनीय/परीक्षा/विकास/वित्त विभाग, पं. र. शु. वि. वि. रायपुर

5/ निर्देशक - महाविद्यालय विकास परिषद पं. र. शु. वि. वि. रायपुर

6/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. र. शु. वि. वि. रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

Copy to
1. AI. R
2. A. M
3. Pls Return

Bhilai Mahila Mahavidyalaya ... No. 1037 Dt 25-8-99 Bhilainagar-M.P.

सहायक कुलसचिव (अका.)

25/8/99

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर (म०प्र०)

//अधिसूचना//

क्र० 2316/अका/सम्ब०/2000 रायपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2000.

कुलपतिजी द्वारा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-15(4) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के तहत भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (म०प्र०) को निरीक्षण समिति की अनुशंसा एवं शासन द्वारा अपेक्षित शर्तों की पूर्ति की प्रत्याशा में नीचे दर्शित कक्षा/विषय की सत्र 2000-2001 से प्रारंभ करने की अनुमति एवं दिनांक 30-06-2001 तक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1/ बी०एस० भाग-एक- हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, गृहविज्ञान, गणित, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र ।

2/ एम०एससी०- गृहविज्ञान-गणित, वनस्पतिशास्त्र ।

आदेशानुसार,

(हस्ताक्षर)

उप कुलसचिव (अका०)

पृ०क्र० 2317/अका/सम्ब०/2000, रायपुर, दिनांक 24 जुलाई, 2000.

प्रतिलिपि-

1/ प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग, म०प्र०,

2/ आयुक्त, उच्चशिक्षा, म०प्र० शासन, (अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा), हिन्दी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल,

3/ अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर, म०प्र०

4/ उप कुलसचिव- गोपनीय/परीक्षा/विकास/वित्त विभाग, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

5/ निर्देशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

6/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

उपकुलसचिव (अका०)

पूरनअग्रवाल/

Copy to
1) MR
2) A.M.
3) HC
4) PIS relu

Copy Sent to MR/AM/HC

27/7/2000

Bhilai Mahila Mahavidyalaya
889
27-7-2000
Bhilainagar M.P.

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

//आदेश//

क्रमांक /अका/ सम्बद्धता /2002

रायपुर दिनांक 2002

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 27-8-2004 में लिए गए निर्णयानुसार, निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सम्मुख दर्शित में सत्र 2004-2005 के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या
भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई जिला - दुर्ग	एम.एससी.भूर्व-माइक्रोबायलाजी	20

अन्य शर्तें

1 स्पेक्ट्रोमीटर एंड इंक्यूबेटर उपकरणों की खरीदी की जाये ।
2
3
4

आदेशानुसार,

उपकुलसचिव (अका)

रायपुर दिनांक 8/9/2002

पृष्ठांकन क्रमांक 1676 अका/सम्ब /2002

प्रतिलिपि:-

1 आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ शासन, छात्रावास क्रमांक 4 शास..विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
2 सम्बंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3 संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
4 कुलपति के सचिव,/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
5 उपकुलसचिव- गोपनीय, सहायक कुलसचिव-परीक्षा, /नामांकन /वित्ताधिकारी / पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
6 संचालक शारीरिक शिक्षा, /विभागाध्यक्ष, कम्प्यूटर अध्ययन शाला, /संबंधित लिपिक, अकादमिक विभाग पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका)

Scanned by TapScanner

2 copy to Mrs Z Hasan for information
3 HC
4 return

copy to: MR / Mrs Z Hasan
HC

10-11-03

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

//आदेश//

क्रमांक 1889 /अका/ सम्बद्धता /2002

रायपुर दिनांक 6-11-2003

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 4-10-2003 को लिए गए निर्णयानुसार, निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके सम्मुख दर्शित में सत्र 2004-2005 के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या
भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाईनगर	एम.एससी. पूर्व भौतिकशास्त्र	10

Bhilai Mahila Mahavidyalaya Bhilainagar-M.P.
1519
10-11-03

अन्य शर्तें

1

2 विश्वविद्यालय परिनियम क्र.-28 के तहत वर्तमान प्राध्यापकों के अलावा कम से कम दो शिक्षकों की नियुक्ति की जावे।

3 प्रायोगशाला में उपकरण क्रय करने हेतु रु.दो लाख की राशि की व्यवस्था की जावे।

4 पुस्तकालय में पा.क्रम के अनुसार निर्धारित पुस्तकें तथा संबंधित जनरल हेतु रु.50,000/- की व्यवस्था की जावे।

आदेशानुसार,

उपकुलसचिव (अका)

पृष्ठांकन क्रमांक 1890 अका/सम्ब /2002

रायपुर दिनांक 6 /11/2003

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ शासन, छात्रावास क्रमांक 4 शास.विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर
2. सम्बधित महाविद्यालय के प्राचार्य को,
3. संचालक महाविद्यालयीन विकास परिषद , पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
4. कुलपति के सचिव,/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
5. उपकुलसचिव- गोपनीय, सहायक कुलसचिव-परीक्षा, /नामांकन /वित्ताधिकारी / पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
6. संचालक शारीरिक शिक्षा, /विभागाध्यक्ष , कम्प्यूटर अध्ययन शाला, / संबंधित लिपिक, अकादमिक विभाग पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

को, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उपकुलसचिव (अका)

Scanned by TapScanner

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक : 2633/अका./स्थायी समिति/2005

रायपुर, दिनांक 27.10.2005

विश्वविद्यालय विद्या परिषद की स्थायी समिति की मंगलवार, दिनांक 25.10.2005 को अपरान्ह 4:00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति –

1.	डॉ. लक्ष्मण चतुर्वेदी, कुलपति	–	अध्यक्ष
2.	प्रो. ओ.पी. वर्मा, कुलाधिसचिव	–	विशेष आमंत्रित
3.	प्रो. विभूति राय, संकायाध्यक्ष–जीवविज्ञान एवं गृह विज्ञान	–	सदस्य
4.	प्रो. डी.डी. वर्मा, संकायाध्यक्ष–वाणिज्य संकाय	–	सदस्य
5.	प्रो. शैलेन्द्र सराफ, संकायाध्यक्ष–टेक्नालाजी	–	सदस्य
6.	प्रो. शशिभूषण, संकायाध्यक्ष–विज्ञान संकाय	–	सदस्य
7.	डॉ. आर. पी. दास, संकायाध्यक्ष–प्रबंधन संकाय	–	सदस्य
8.	डॉ. बी.के. मेहता, संकायाध्यक्ष–शिक्षा संकाय	–	सदस्य
9.	डॉ. एस.एल. आदिले, संकायाध्यक्ष–चिकित्सा संकाय	–	सदस्य
10.	श्री के. के. चन्द्राकर, कुलसचिव	–	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गये :–

विषय क्र. 1 : निम्नलिखित महाविद्यालयों को निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के प्रकरण पर विचार करना –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति की अनुशंसा
1.	तक्षशीला महाविद्यालय (प्रेक्षा शिक्षण सोसायटी), मालवीय नगर, स्टेशन रोड, दुर्ग	1.बी.काम. भाग–एक सभी अनिवार्य विषय 2.बी.सी.ए. भाग–एक	35 25	2005–06	सशर्त अनुशंसित
2.	अपोलो कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी, दुर्ग	बी.पी.टी. भाग–चार	60 + 9	2005–06	परिनियम 28 के तहत शिक्षकों की नियुक्ति की शर्त सहित अनुशंसित
3.	शांति निकेतन महाविद्यालय तात्यापारा चौक, रायपुर	पी.जी.डी.आई.टी.	30	2005–06	अनुशंसित

D:/Kamnujo/Karya parishad ravi

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति की अनुशंसा
22	कला महाविद्यालय जी–जामगांव जिला–धमतरी (छ.ग.)	बी.ए.भाग–तीन आ.पा., हिन्दी साहित्य, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र	50	2005–06	सशर्त अनुशंसित
23	श्री महावीर जैन कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पुलगांव, दुर्ग (छ.ग.)	1.बी.ए. भाग–दो आ.पा., हिन्दी साहित्य, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल 2.बी.काम. भाग–दो सभी अनि. विषय	60 60	2005–06	सशर्त अनुशंसित
24	शासकीय दिग्विजय महा., राजनांदगांव	1.बी.एस.सी.भाग–दो एवं तीन – बायोटेक्ना., कम्प्यूटर साइंस 2.बी.काम. भाग–दो एवं तीन – कम्प्यूटर एप्ली. अति.विषय	40, 30 30	2004–05 2005–06	सशर्त अनुशंसित
25	भिलाई महिला महाविद्यालय भिलाई	1.बी.एस.सी. भाग–एक इलेक्ट्रानिक्स 2.एम.एस.सी. पूर्व बायोटेक्नालाजी, बायोसाइंस, कम्प्यूटर साइंस	30 12 12 15	2005–06	सशर्त अनुशंसित

10/11/05

निर्णय :– निर्णय लिया गया कि निरीक्षण समिति की अनुशंसानुसार उपरोक्त महाविद्यालयों को अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई ।

अध्यक्ष की अनुमति से यह भी निर्णय लिया गया कि –

(1) विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन में सत्र 2005–06 से 40 सीट के साथ एम.एड. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने हेतु अनुशंसा की गई ।

श्री रावतपुरा सरकार संस्थान, रायपुर में बी.एस–सी. नर्सिंग – प्रथम वर्ष 50 सीट के साथ प्रारंभ करने की अनुशंसा करते हुए महाविद्यालय को सम्बद्धता अनुमति शुल्क जमा करने तथा निरीक्षण कार्य शीघ्र पूर्ण करने हेतु पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया ।

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 27.10.2005

पृ. क्रमांक 7634 अका./स्थायी समिति/2005

प्रतिलिपि :–

1. विद्या परिषद के स्थायी समिति के समस्त सदस्यों को ।
2. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ [illegible] छात्र कल्याण,
3. वित्ताधिकारी/ आवासीय अंकेक्षण विभाग,
4. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निज सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)

Scanned by TapScanner

४१०८

रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर: ४९२.०१०

क्रमांक ।अका०।संबद्धता।प्रारंभ सूचना।
प्रेषक:- कुलसचिव,   रायपुर, दिनांक

प्रति,

प्राचार्य।प्राचार्या,
- भिलाई महिला - - महाविद्यालय,
- भिलाई नगर - - - (म०प्र०)।

विषय:- सत्र 1983-84 - - - - से महाविद्यालय में बी.एस.सी.-हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक, रसा., वन., गणित, बी.एच.एस.सी., एम.एच.एस.सी. (चाइल्ड डेवलपमेंट) कक्षा। विषय में सम्बद्धता प्रारंभ प्रदान करना।

सन्दर्भ :- आपका आवेदन पत्र क्रमांक बी.एम.एम/83/34 दिनांक 24-9-83 - -

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत सूचित किया जाता है कि कार्य परिषद् ने अपनी बैठक दिनांक - 30-6-84 - में आपके महाविद्यालय को क्रमश: उपरोक्तानुसार - - - - - - - - - - - - - कक्षा। विषयों में सम्बद्धतावधि सत्र 1983-84 - - से प्रारंभ करने हेतु नियुक्त निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन एवं उस पर विद्यापरिषद् की स्थायी समिति। ~~कुलपति धारा 14(4) के अन्तर्गत विद्यापरिषद्~~ की ओर से की गई संस्तुति पर विचार कर निर्णय लिया कि आपके महाविद्यालय को उपरोक्त कक्षा। विषयों की सम्बद्धतावधि - सत्र 1983-84 - - से प्रारंभ करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति के साथ - 30-6-84 - - - तक प्रदान की जावे।

अत: कार्यपरिषद के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में, आपके महाविद्यालय को निम्नलिखित कक्षा। विषयों की सम्बद्धतावधि सत्र 1-6-83 से 30-6-84 तक निरीक्षण-प्रतिवेदन (संलग्न) में उल्लिखित शर्तों की पूर्ति करने की शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

बी.एस.सी.- हिन्दी, अंग्रेजी, भौतिक, रसा., वन., गणित।
बी.एच.एस.सी. - स्थायी संबद्धता।
एम.एच.एस.सी. (बाल विकास)

कृपया संबद्धता शर्तों की पूर्ति सूचना अविलंब भेजें।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

सहपत्र:- उपरोक्तानुसार।

(एस.एस. दुबे)
उप। ~~सहायक~~ कुलसचिव (अका.)

पृष्ठां० क्र० ।अका०।संबद्धताप्रारंभ सूचना। रायपुर, दिनांक । 1984

प्रतिलिपि:-
(1) सचिव, म०प्र० उच्च शिक्षा अनुदान आयोग, महावीरनगर, भोपाल।
(2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, शिक्षा विभाग, भोपाल
(3) ~~प्रशासन्य प्रशासन विभाग~~ संचालक, महा. विकास परिषद, र.वि.वि. रायपुर
(4) ~~वित्त विभाग~~।~~विकास~~।परीक्षा।गोपनीय विभाग, र० वि० वि०, रायपुर

को सूचनार्थ अग्रेषित।

उप। ~~सहायक~~ कुलसचिव (अका०)

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

// सूचना //

क्रमांक. 1771 /अका./97 रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 1997.

विश्वविद्यालय कार्य परिषद की बैठक दिनांक 27 एवं 29 अगस्त,97 के निर्णयानुसार निरीक्षण समिति की अनुशंसा पर भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर (म.प्र.) को नीचे दिये जा रहे अनुसार कक्षाओं / विषयों की शर्तों की पूर्ति के साथ प्रारंभ किए जाने की अनुमति एवं दिनांक 30-6-98 तक अस्थायी संबद्धता प्रदान की जाती है :-

(1)	बी.एस-सी. भाग-दो (सत्र 1996-97 से)	आधार पाठ्यक्रम, भौतिकी, गणित, कंप्यूटर साइंस.
(2)	एम.एच.एस-सी.पूर्व	टेक्सटाइल एण्ड क्लोथिंग

आदेशानुसार,

कुलसचिव,

पृ. क्रमांक. 1772 /अका./97 रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 1997.

प्रतिलिपि:-

(1) प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला-दुर्ग(म.प्र.).
(2) अतिरिक्त संचालक, आयुक्त कार्यालय, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, (अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा) ई-2/84, महावीरनगर, भोपाल (म.प्र.) ।
(3) अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर,
(4) संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद,
(5) कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
(6) परीक्षा/गोपनीय/विकास विभाग/वित्त विभाग
} पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

सहायक कुलसचिव (अका.)

10/7
13-9-97

/////

//आलोक//

पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर [म0प्र0]

//आदेश//

क्रमांक/329 /अका/सम्बद्ध0/2001 रायपुर, दि0 8 सित0 2001-

कार्यपरिषद् की सम्पन्न बैठक दिनांक 22 अगस्त,2000 में लिए गए निर्णयानुसार, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई को निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित तथ्यों का पालन कर एक माह में प्रतिवेदन देने के निर्देश एवं शासन -द्वारा अपेक्षित शर्तों की पूर्ति किए जाने की शर्त पर नीचे दिए जा रहे कक्षा / विषय को सत्र 2000-2001 से प्रारंभ करने की अनुमति एवं दिनांक 30-06-2001 तक -अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

1/ एम0 कॉम0 पूर्व ।

कार्यपरिषद् के निर्णयानुसार,
ओ.के. पांडेय
उप कुलसचिव [अका0]

पृ0क्र0/330 /अका/सम्बद्ध0/2000 रायपुर, दिनांक 8 सित0 2000-

प्रतिलिपि-

1/ प्राचार्य, भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर,
2/ आयुक्त, उच्चशिक्षा, म0प्र0 शासन, [अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं से संबंधित शाखा], हिन्दी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल,
3/ अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर, म0प्र0
4/ उप कुलसचिव/सहायक कुलसचिव- गोपनीय/परीक्षा/विकास /वित्त विभाग, पं0 रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,
5/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं0 रविशंकर शुक्ल वि0वि0, रायपुर,
6/ संबंधित लिपिक-अकादमिक विभाग, को, कि कृपया आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में कार्यवाही की सूचना देने हेतु अग्रेषित ।

ओ.के. पांडेय
उप कुलसचिव [अका0]

Scanned by TapScanner

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय-रायपुर, (छ०ग०)

// आदेश //

क्रमांक..1110../अका/सम्ब०/2001, रायपुर, दि०...3/सितम्बर 2001

विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30 अगस्त, 2001 में लिए गए निर्णयानुसार, निम्नलिखित महाविद्यालय को उसके सम्मुख दर्शित पाठ्यक्रमों में सत्र 2001-2002 के लिए अस्थायी सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या
भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर	1/ बी०एस०सी०-प्रथम-इंडस्ट्रीयल माईक्रो बायलॉजी-अतिरिक्त विषय	40सीट
	2/ एम०एस०सी०-अंतिम- वनस्पतिशास्त्र	
	3/ एम०एस०सी०-अंतिम-प्राणिशास्त्र	
	4/ पी०जी०डी०सी०ए०-	30सीट

13 ० / 19.9.2001

अन्य शर्तें-

विषय क्र०-1, के लिए।

1/ पाठ्यक्रम कक्षा/विषय के लिए पाठ्यपुस्तकें, प्रायो०उपकरण उपस्कर, आदि की व्यवस्था की जाय।

2/ अध्यापन हेतु विश्वविद्यालय अध्यादेश ऑर्ड-28 के अनुसार नियुक्ति की जा

3/

4/

आदेशानुसार,

(signature)

उप कुलसचिव

पृष्ठांकन क्रमांक......./अका/सम्ब०/200 रायपुर, दि०................

प्रतिलिपि-

1/ सचिव, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, डी०के०एस०भवन, रायपुर,

2/ आयुक्त, उच्चशिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन /अतिरिक्त संचालक, उच्चशिक्षा, रायपुर-बस्तर संभाग, छात्रावास क्र०-4, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर,

3/ संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य को,

4/ संचालक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, पं०र०वि०शु०वि०वि०, रायपुर,

5/ कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक पं०रविशंकर शुक्ल वि०वि०, रायपुर

6/ उप कुलसचिव- गोपनीय विभाग/सहायक कुलसचिव-परीक्षा/नामांकन/वित्त अधिकारी, पं०रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर,

7/ विभागाध्यक्ष-कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला पं०र०वि०शु०वि०वि०, रायपुर,

8/ संचालक, शारीरिक शिक्षा, पं०र०वि०शु०वि०वि०, रायपुर,

9/ संबंधित लिपिक, [illegible] विभाग को, कृपया आगामी कार्यपरिषद की बैठक में सूचना प्रस्तुत [illegible] [illegible]

Scanned by TapScanner

हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम- दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.) - 491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in वेब साइट : www.durguniversity.ac.in दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 2011 /अका./वार्षिक संबद्धता/33/2019

दुर्ग, दिनांक 24/12/2019

||आदेश||

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 12.12.2019 में की गई अनुशंसा को कार्यपरिषद् में अनुमोदन की प्रत्याशा में तदनुसार निम्नलिखित महाविद्यालय को दर्शित कक्षा/विषय के साथ शुल्क जमा करने के पश्चात् विश्वविद्यालय परिनियम 27 एवं 28 की शर्तों के अधीन वार्षिक सम्बद्धता सत्र 2019–20 के लिए प्रदान की जाती है:–

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	सीट संख्या
01.	भिलाई महिला महाविद्यालय, हॉस्पिटल सेक्टर, भिलाई, जिला–दुर्ग (छ.ग.)	**Permanent Affiliation**	
		B.Sc.- Foundation Course (Hindi, English), Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Computer Science	450
		B.H.Sc.	30
		Non Permanent Affiliation	
		B.Sc.- Electronics (30), Industrial Microbiology (40), Biotechnology (30), Microbiology (30)	
		B.Com.- Including Computer Application	200
		B.Ed.	100
		BCA	30
		M.Sc.- Chemistry	20
		M.Sc.- Zoology	20
		M.Sc.- Botany	20
		M.Sc.- Mathematics	20
		M.Sc.- Microbiology	20
		M.Sc.- Bioscience	12
		M.Sc.- Physics	10
		M.Sc.- Computer Science	15
		M.Sc.- Biotechnology	12
		M.H.Sc.- Child Dev. Text & Cloting	20
		M.Com	40
		PGDCA	30

निर्देश :

1. छत्तीसगढ़ शासन प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत का पालन करेंगे एवं छत्तीसगढ़ के छात्रों को प्राथमिकता देंगे।
2. शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टाफ को यू.जी.सी./छ.ग.शासन द्वारा स्वीकृत वेतन मान (समस्त भत्तों सहित) देना होगा।
3. शासन के आदेश में उल्लेखित शर्तों का पालन न करने एवं भविष्य में शासन के द्वारा उपरोक्त आदेश पर किसी भी प्रकार की आपत्ति होने पर, पाठ्यक्रम की संबद्धता पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
4. प्रावधानानुसार महाविद्यालय में प्रवेशित छात्रों से किसी भी प्रकार का डोनेशन न लिया जाये।
5. समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।
6. न्यूनतम शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति पाठ्यक्रम आरम्भ करने के साथ ही करनी होगी।
7. महाविद्यालय के शैक्षणिक वातावरण में आवश्यक परिर्वतन करते हुए शैक्षणिक गुणवत्ता को सुदढ़ करेंगे।
8. तत्काल विषयों से संबंधित पुस्तकें क्रय करेंगे।
9. NCTE द्वारा मान्यता प्रदान करने हेतु वर्णित समस्त शर्तों को पूर्ण कर लें एवं तत्संबंधित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित करें अन्यथा की स्थिति में शर्तें पूरी न करने वाले महाविद्यालयों अथवा शर्तें पूर्णता संबंधी प्रमाणों के प्राप्त न होने पर ऐसे महाविद्यालयों के नाम, मान्यता निरस्त करने हेतु NCTE को भेजे जायेंगे।

क्रमशः.............

Bhilai Mahila Mahavidyalaya
R. N 678
Dt. 24.12.19
Bhilai Nagar (C.G.)

Scanned by TapScanner

10. उपरोक्त संबद्धता आदेश में किसी प्रकार के आवश्यक संशोधन यथा विषय/कक्षा/सीट संख्या आदि हो पर प्रमाण सहित विश्वविद्यालय को 10 दिवस के अंतगर्त अनिवार्यतः अवगत करायें। उक्त शर्तों की पूर्ति न करने की स्थिति में महाविद्यालय को दी जा रही उपर्युक्त विषयों/कक्षा की सम्बद्धता आगामी सत्र से वापस ले ली जाएगी।

कुलसचिव
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

पृ.क्र. 2012/अका./वार्षिक संबंद्धता/33/2019

दुर्ग, दिनांक : 20/12/2019

प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक–सी, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
2. कुलपति के निज सहायक/कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।
3. गोपनीय/परीक्षा विभाग, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)।

सहा. कुलसचिव (अका.)
हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

क्रमांक : 478

Scanned by TapScanner